भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3497

उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पद

†3497. **डॉ. आलोक कुमार सुमन:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार और विशेषकर गोपालगंज जिले के केन्द्रीय विद्यालय शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार में इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि अधिकांश विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए संविदा कर्मचारी हैं, जो सरकार की सकारात्मक भेदभाव नीति के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि बिहार में ऐसे संविदा और पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01.06.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 7765 शिक्षण पद और 1617 गैर-शिक्षण पद रिक्त हैं। बिहार राज्य, विशेष रूप से गोपालगंज जिले में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पद निम्नानुसार हैं:

पद	[illegible] **(दिनांक 01.06.2025 [illegible]ति के अनुसार)**	
	[illegible] **वि** [illegible]	[illegible] **वि** [illegible]
[illegible] पद	288	02
[illegible]-[illegible] पद	26	01

(ग) से (ङ): रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाता है। नए केंद्रीय विद्यालयों (केवि) के खुलने, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण, कर्मचारियों के दूसरे विभाग में चले जाने और विद्यालयों के उन्नयन के कारण रिक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए केविसं द्वारा स्वीकृत पदों पर अस्थायी अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर भी की जाती है।

केविसं द्वारा नियमित कर्मचारियों की भर्ती केंद्रीय स्तर पर की जाती है। बिहार राज्य सहित देश भर में रिक्त पदों को भरने के लिए सितंबर 2022 से दिनांक 12.07.2025 तक मिशन भर्ती के दौरान केविसं द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विभिन्न पदों के लिए 12867 नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए। केविसं में आरक्षण नीति भारत सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार लागू की जाती है।

****